लोक सभा में 28 फरवरी, 2007
को पुरःस्थापित रूप में

2007 का विधेयक संख्यांक 22

[दि फाइनेंस बिल, 2007 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2007

**वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए केन्द्रीय सरकार
की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी
करने के लिए
विधेयक**

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2007 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 84 तक 1 अप्रैल, 2007 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी ।

website : http//indiabudget.nic.in